न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 56/2013

1 बुधराम आयु 65 साल पुत्र स्व. नौरंगराम
2 गोरूराम आयु 63 साल पुत्र स्व. नौरंगराम
जाति जाट पेशा खेती निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 मृतक महेन्द्र पुत्र स्व. नौरंगराम जाति जाट पेशा खेती निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू। 'नौट– दौरान अपील दिनांक 26.03.2021 को देहान्त हो गया।
3/1 श्रीमती सुमन देवी आयु 43 साल पत्नी स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी नाटास उप तहसील गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3/2 विकास कुमार आयु 25 साल
3/3 विक्रम सिंह आयु 21 साल पुत्रगण स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासीगण नाटास उप तहसील गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
4 श्रीमती भरपाई आयु 67 साल पुत्री स्व. नौरंगराम पत्नी जयपाल उर्फ जापान जाति जाट पेशा खेती निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
5 श्रीमती भतेरी आयु 57 साल पुत्री स्व. नौरंगराम पत्नी ईश्वर जाति जाट पेशा खेती निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मृतक मूलचन्द पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी रोनक इन्टर प्राईजेज स्टेशन रोड़ बड़बिल पोस्ट बड़बिल जिला कुझंर (उड़ीसा) 758035 नोट– दौराने अपील दिनांक 27.08.2015 को देहान्त हो गया।'

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/1 ईश्वर सिंह आयु 37 साल
1/2 सुमेर सिंह आयु 35 साल
1/3 बाबुलाल आयु 31 साल
1/4 मनोज कुमार आयु 25 साल पुत्रगण स्व. मूलचन्द जाति जाट निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी रोनक इन्टर प्राईजेज स्टेशन रोड़ बड़बिल पोस्ट बड़बिल जिला कुझंर (उड़ीसा) 758035
1/5 श्रीमती विनोद आयु 29 साल पुत्री स्व. पुत्री स्व. मूलचन्द पत्नी महेशकुमार जानू जाति जाट निवासी बहादुरवास उर्फ भादरवास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 श्रीमती परमेश्वरी आयु 60 साल पत्नी मूलचन्द जाति जाट निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी रोनक इन्टर प्राईजेज स्टेशन रोड़ बड़बिल पोस्ट बड़बिल जिला कुझंर (उड़ीसा) 758035
3 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्त. अधि. 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2013
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुवाटी जिला झुन्झुनू
दावा उनवानी मूलचन्द बनाम बुद्धराम आदि दावा घोषणा
व स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा दावा संख्या 287/2012

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 28.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 287/2012 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम नाटास तहसील उदयपुरवाटी की भूमि गत खसरा नम्बर 47, 157 हाल खसरा नम्बर 271, 272, 49 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के दावे के सम्मन दिनांक 23.05.2013 के संलग्न है। सम्मनों पर अपीलांट्स का पता नाटास का अंकित है। जबकि अपीलांट अपने ससुराल सांवलोद में रह रही है। ऐसी स्थिति में सम्यक तामील के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा तामील पर्याप्त मानकर अपीलांट के विरूद्व पारित एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 03.09.2012 को दावा दर्ज किया गया है। इसके पश्चात पांच तारीख पेशी पर मोहर अंकित है। दिनांक 28.05.2013 को अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही का अंकन कर वादी की एकपक्षीय साक्ष्य लेकर आगामी तिथि दिनांक 31.05.2013 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित भी नहीं करवाये गये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

साक्ष्य प्रदर्शित करवाये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के दावे के सम्मन दिनांक 23.05.2013 के संलग्न है। सम्मनों पर अपीलांट्स का पता नाटास का अंकित है। जबकि अपीलांट अपने ससुराल सांवलोद में रह रही है। ऐसी स्थिति में सम्यक तामील के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा तामील पर्याप्त मानकर अपीलांट के विरूद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 03.09.2012 को दावा दर्ज किया गया है। इसके पश्चात पांच तारीख पेशी पर मोहर अंकित है। दिनांक 28.05.2013 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का अंकन कर वादी की एकपक्षीय साक्ष्य लेकर आगामी तिथि दिनांक 31.05.2013 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित भी नहीं करवाये गये है। साक्ष्य प्रदर्शित करवाये बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर